

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
जीरो पॉइंट, विधान नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में रिक्त प्रतिवेदक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 6341/वि.स./स्था./2020

दिनांक 04-05-2020

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में रिक्त प्रतिवेदक के पद पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं :-

1. परीक्षा शुल्क -
सामान्य वर्ग - 350/-
अन्य पिछड़ा वर्ग - 250/-
अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन - 200/-

रिक्त पदों का विवरण -

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				योग	वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स/ लेवल)	
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	प्रतिवेदक	04	-	04	-	01	-	01	-	-	08	56100-177500 लेवल 12

रिक्तियों में आरक्षण, पात्रता की शर्तें, विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक /तकनीकी अर्हताएं, अन्य नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध है ।

आरक्षण संबंधी प्रावधान-

1. रिक्तियों में आरक्षण - उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 5 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

(2) पात्रता की शर्तें

1. प्रतिवेदक पद हेतु आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :-

प्रतिवेदक :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं हिन्दी शीघ्रलेखन में 140 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना अनिवार्य होगा।

(4) परीक्षा/चयन पद्धति :-

प्रतिवेदक :-

- (क) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर द्वारा प्रतिवेदक पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके तिथि, समय एवं स्थान की सूचना पृथक से दी जायेगी।
- (ख) प्रतिवेदक पद के लिए आयोजित कौशल परीक्षा हेतु हिन्दी शीघ्रलेखन से 140 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का डिक्टेसन दिया जायेगा। जिसे अनुवाद कर 50 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा।
- (ग) कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- (घ) मेरिट सूची से कुल रिक्तियों के विरुद्ध 1:3 (एक अनुपात तीन) में मौखिक साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
- (ङ) कौशल परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को मिलाकर मेरिट सूची/चयन सूची/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(5) यात्रा व्यय :- प्रतिवेदक पद पर भर्ती हेतु बुलाये गये छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थानीय (मूल) निवासी को जो कहीं सेवारत न हो, एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा जिसके लिये वांछित घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर देना

होगा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।

(6) नियम व शर्तें :-

1. उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर में सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. सभी श्रेणियों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की विधि, ऑनलाईन फीस पेमेंट की विधि, तथा अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर आवेदन करने की तिथि से देखा जा सकता है।
4. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
5. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आयु सीमा दिनांक 01.01.2020 को प्रतिवेदक हेतु न्यूनतम 21 वर्ष तथा राज्य शासन द्वारा देय सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/ मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- i. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- ii. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- iii. ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण - "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस

- राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- iv. ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- v. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
- vi. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- vii. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3-1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- viii. राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- ix. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- (क) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे - छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर),

महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2020 के संदर्भ में की जाएगी।

7. संसद एवं विधान मण्डल में कार्य का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा।
9. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के प्रत्याशा में ही सेवा में लिया जावेगा।
11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
12. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए उसके पश्चात अर्जित की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा।
13. विज्ञापित पदों में अंतिम रूप से चयनित पात्रताधारी आवेदकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट आधार पर एक प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज पात्र/सफल उम्मीदवारों को मेरिट आधार पर अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार होने पर ही आवेदक उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें। सम्पूर्ण विज्ञापन इस सचिवालय के वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध है।



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा